**दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली**

*निर्णय की तिथि: 03 फरवरी, 2014*

**सि.वा.(मू.प.) 1782/2012**

एस.बी.एल. प्राइवेट लिमिटेड ..... वादी

द्वारा: श्री मनीष श्रीवास्तव, अधिवक्ता और श्री एस.आर. वर्मा, वादी के वरिष्ठ प्रबंधक

बनाम

वी.बी. शुक्ला और अन्य ..... प्रतिवादी

द्वारा: श्री जे.सी. महेंद्रू, प्रति. 1 के अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी सिंह, श्री विक्रम ग्रोवर और सुश्री श्रेया वर्मा, प्रति.-2-4 के लिए अधिवक्तागण

**कोरम:**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एस. सिस्तानी**

**जी.एस. सिस्तानी, न्या. (मौखिक)**

**अंतर.आ. संख्या 2181/2014**

यह प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा दायर किया गया आवेदन है जिसमें दिनांक 15.1.2014 के आदेश में सुधार की मांग की गई है। पक्षकारगण के अधिवक्ता प्रस्तुत किए कि इस न्यायालय ने मामले को 3.2.2014 के लिए स्थगित कर दिया था, लेकिन अनजाने में तारीख 3.4.2014 के रूप में उल्लिखित हो गई।

आवेदन में बताए गए कारणों से, आवेदन की अनुमति है। दिनांक 3.4.2014 को रद्द किया जाता है।

**सि.वा.(मू.प.) 1782/2012**

पक्षकारगण के अधिवक्ताओं की सहमति से मामले पर आज सुनवाई हो रही है। वादी ने नुकसान के साथ-साथ स्थायी और अनिवार्य व्यादेश के लिए वर्तमान वाद दायर किया है। प्रतिवादी सं. 1 वादी कंपनी में कार्यरत था। प्रतिवादी सं. 1 ने 6.4.2012 को इस्तीफा दे दिया और प्रतिवादी सं. 2 कंपनी में पद ग्रहण किया, जिसमें प्रतिवादी सं. 3 और 4 निदेशक हैं।

वादी की शिकायत यह है कि गोपनीय और आंतरिक जानकारी प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 2, कंपनी के साथ साझा करने के लिए ले जाया गया था। दिनांक 01.06.2012 को एक अंतरिम एकपक्षीय व्यादेश प्रदान की गई थी, जब वाद में समन जारी किए गए थे।

निर्देशों पर प्रतिवादी सं. 1 के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी सं. 1 ने किसी भी गोपनीय जानकारी का उपयोग किया है या न तो प्रतिवादी सं. 2 से 4 को बताया है और न ही वह भविष्य में ऐसा करेगा। प्रतिवादी सं. 2 से 4 के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि न तो उन्हें वादी कंपनी की कोई गोपनीय जानकारी मिली है, और न ही उनका कोई आशय वादी कंपनी के किसी भी कर्मचारी को वादी के रोजगार को छोड़ने या उनसे गोपनीय जानकारी लेने के लिए उकसाने का है। पक्षकारगण द्वारा अपनाए गए रुख को ध्यान में रखते हुए और पक्षकारगण की सहमति से, वर्तमान वाद निम्नलिखित सहमत शर्तों पर डिक्रीत किया जाता है:

(i) प्रतिवादी सं. 1 को किसी भी तरीके से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रतिवादी सं. 2, 3 या 4 को किसी भी गोपनीय जानकारी का खुलासा करने से रोकने के लिए स्थायी व्यादेश का डिक्री, जैसा कि पैराग्राफ 29 में उल्लिखित है या किसी तीसरे व्यक्ति को, किसी भी तरह से या

अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उक्त गोपनीय जानकारी का उपयोग करना; और

(ii) प्रतिवादी सं. 1 ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वादी की किसी भी गोपनीय जानकारी को प्रतिवादी सं. 2 से 4 को नहीं बताया है, और न ही वह ऐसा करेगा, सिवाय व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम के।

(iii) प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने वादी कंपनी के किसी भी कर्मचारी को न तो रखा है, न ही उकसाया है और न ही वे वादी कंपनी के किसी भी कर्मचारी को अपना रोजगार छोड़ने के लिए उकसाएंगे।

(iv) वादी नुकसान का रकम छोड़ता है।

तदनुसार, उपरोक्त शर्तों में डिक्री-शीट तैयार की जाए। न्यायालय अधिवक्तागण द्वारा किए गए प्रयासों और मामले को सुलझाने में पक्षकारगण द्वारा उठाए गए निष्पक्ष रुख की सराहना करती है। चूंकि मामला मुद्दे विरचित करने से पहले ही हल हो गया, जैसा कि प्रार्थना की गई है, वादी न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 16-क के संदर्भ में न्यायालय फीस की वापसी का हकदार है।

वाद का निपटान किया जाता है।

**जी.एस. सिस्तानी, न्या.**

**03 फ़रवरी, 2014**
**एस.एस.एन**

***(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)***

***अस्वीकरण :*** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*